(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4042–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 105/अपील/2014–15.

लालजीराम पुत्र स्व. नंदराम लोधा
निवासी ग्राम बामन्याखेड़ी
तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

अमरीबाई पुत्री स्व. मांगीलाल लोधा
निवासी ग्राम बामन्याखेड़ी
तहसली खिलचीपुर जिला राजगढ़ .....अनावेदिका

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्वत अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे **संक्षेप में संहिता** कहा जायेगा) की धारा 50 **के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।**

2/ **प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, खिलचीपुर के समक्ष संहिता** की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बामन्याखेड़ी स्थित भूमि उसके पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है, जिस पर आवेदक द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, अतः आवेदक का नाम निरस्त कर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार, टप्पा भोजपुर तहसील खिलचीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–6–अ/13–14 दर्ज कर दिनांक 31–10–14 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के

विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2015 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर 1/2 भाग पर अनावेदिका का हक पाते हुए उसका नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 28–10–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 15ए/16 में दिनांक 30–11–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का स्वत्व पाते हुए उसके पक्ष में डिकी पारित की गई है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर 60–70 वर्षों से आवेदक का नाम दर्ज चला आ रहा है, और इतने अधिक वर्ष पश्चात संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रविष्टि संशोधित नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग का भूमिस्वामी मांगीलाल था, और वह मृतक भूमिस्वामी मांगीलाल की एकमात्र पुत्री होकर विधिक वारिसान है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश विधिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त कर मृतक भूमिस्वामी मांगीलाल के हिस्से की भूमि 1/2 भाग पर अनावेदिका का नाम दर्ज करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि आयुक्त द्वारा की गई है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–10–2015 को आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात उभय पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2016 एवं जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2017 की प्रति प्रस्तुत की गई है ।

अतः उपरोक्त आदेशों के प्रकाश में यह आवश्यक है कि आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व्यवहार न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेवें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर